उ० प्र० पावर कारपोरेशन अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट

14—अशोक मार्ग शक्ति भवन (वि०), लखनऊ

Email id: cpftrust.2004@gmail.com Website- www.uppst.org Ph. No:-05222218262

पत्र सं०: 1030 /80/सी०पी०एफ०—ट्रस्ट/ई०आर०पी०/2020/TC-1 दिनांक: 19/9/2023

मुख्य अभियन्ता (आईटी)
उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०
शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पंजीकृत डाक
एवं
ई—मेल

विषयः— ई०आर०पी० सैप के माध्यम से नवनियुक्त कार्मिकों के सी०पी०एफ० खाता संख्या आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि ट्रस्ट कार्यालय में ई०आर०पी० प्रणाली लागू होने के दृष्टिगत समस्त डिस्कॉम/निगम में नवनियुक्त कार्मिकों को सी०पी०एफ० खाता संख्या आवंटित करने की कार्यवाही ई०आर०पी० सैप प्रणाली पर विकसित किये गये "PF No. Allotment Module" के माध्यम से की जा रही है।

अग्रेतर अवगत कराना है कि PF No. Allotment Module के माध्यम से कार्मिकों का सी०पी०एफ० खाता सं० आवंटित किये जाने हेतु निम्न बिन्दुओं की पूर्णता अनिवार्य है:—

- i- ई०आर०पी० सैप पर SAP ID बनाने के साथ—साथ कार्मिक की Vendor ID बनाये जाने हेतु निर्धारित सूचना यथा Infotype-0002 (Personal Data), Infotype-6 (Address), Infotype-9 (Bank A/C Details), Infotype-0105 (communications) Subtype 0001, System ID (Insert SAP ID), Infotype-185 (PAN Number), First Name and Last Name में अंकित किया जाना अनिवार्य है।
- ii- ई०आर०पी० सैप के माध्यम से खाता संख्या आवंटित किए जाने हेतु SAP ID बनाते समय Infotype-587 में Trust ID NCPF किया जाना एवं CPF No. Blank किया जाना अनिवार्य है।
- iii- उपरोक्त कार्यवाही पूर्ण कराने के पश्चात् सम्बन्धित कार्यालय द्वारा T-Code PA-30 के अंतर्गत Infotype-9902 का प्रयोग करते हुए Create Option के माध्यम से Subtype-X40 CPF Application के अंतर्गत कार्मिक के खाता आवंटन हेतु आवश्यक प्रपत्र यथा Application Form, Form-A, Form-40(A), Form-B, Covering Letter, Appointment Letter, Charge Certificate इत्यादि ई०आर०पी० सैप पर Infotype-9902 Subtype X40 CPF Application के अन्तर्गत अपलोड किया जाना अनिवार्य होता है।

उपरोक्त बिन्दु —(i) से (iii) तक वर्णित किसी भी प्रक्रिया के पूर्ण न होने की स्थिति में कार्मिक का विवरण PF No. Allotment Module के अन्तर्गत Extend नहीं हो पाता है।

उक्त के अनुक्रम में PF No. Allotment Module के माध्यम से सी०पी०एफ० खाता संख्या आवंटित करने हेतु ERP SAP पर निम्नलिखित कार्यवाही कराया जाना आवश्यक है:—

1. ई०आर०पी० सैप पर SAP ID बनाने के साथ—साथ कार्मिक की Vendor ID बनाये जाने हेतु निर्धारित सूचना यथा Infotype-0002 (Personal Data), Infotype-6 (Address), Infotype-9 (Bank A/C Details), Infotype-0105 (communications) Subtype 0001, System ID (Insert SAP ID), Infotype-185 (PAN Number), First Name and Last Name को ई०आर०पी० सैप पर Mandatory कराया जाना।
2. ई०आर०पी० टीम के साथ PF No. Allotment Module विकसित करने के सम्बन्ध में हुई चर्चा के दौरान यह निर्णय लिया गया था कि सम्बन्धित इकाई को मात्र खाता आवंटन संबंधी प्रपत्र अपलोड करने का अधिकार दिया जाएगा, किन्तु उक्त की जाँच किए जाने पर यह संज्ञान में आया है कि खण्ड स्तर पर प्रपत्र अपलोड करने के साथ—साथ Edit और Delete करने का भी अधिकार निहित है, जो कि उचित नहीं है।
3. विभिन्न प्रकरणों में खण्ड स्तर से खाता आवंटन सम्बन्धी उपरोक्त बिन्दु सं०—(i), (ii) एवं (iii) पूर्ण कराने के पश्चात् भी कार्मिकों का विवरण PF No. Allotment Module पर स्वतः Extend नही होता है, जिसके सम्बन्ध में ई०आर०पी० टीम से चर्चोपरान्त ज्ञात हुआ है कि उक्त प्रकरणों में कार्मिक का BP Create होने के उपरान्त Company Code Modify नहीं हुआ है, जिसके सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही ERP Team द्वारा की जानी है।

उपरोक्त बिन्दुओं के सापेक्ष प्रदर्शित त्रुटियों के निराकरण हेतु दिनांक 08.09.2023 को ई0—मेल के माध्यम से ई०आर०पी० टीम को सूचित कर दिया गया था।

उक्त के अतिरिक्त Allotment Register Report ई0आर0पी0 टीम द्वारा विकसित की जानी है। जिसके सापेक्ष दिनांक 17.08.2023 को ई0आर0पी0 टीम को ई०मेल के माध्यम से सूचित किया गया है।

उक्त के दृष्टिगत उपरोक्त बिन्दुओं के निराकरण हेतु ई0आर0पी0 टीम द्वारा आपके स्तर से दिशानिर्देश प्रदान करने हेतु सूचित किया गया है, अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त बिन्दुओं के निराकरण हेतु ई0आर0पी0 टीम को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें, जिससे कि कार्मिकों को ई0आर0पी0 सैप के माध्यम से खाता संख्या आवंटन की कार्यवाही ससमय सुनिश्चित की जा सके।

संलग्नक :— यथापरोक्त।

भवदीय

(एस0के0 अवस्थी)
सचिव (ट्रस्ट)

पत्र सं०:— /80/सी0पी0एफ0—ट्रस्ट/ई0आर0पी0/2020/TC-1/तद्दिनांक:—

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. निदेशक (वित्त), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. निदेशक (आई0टी0), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. समस्त लेखाधिकारी/सहा0 लेखाधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. श्री सोविक हाज़रा, प्रोजेक्ट मैनेजर, मे0 एसेन्चर सॉल्यूशन्स प्राईवेट लि0।

(एस0के0 अवस्थी)
सचिव (ट्रस्ट)